

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023.....
प्र0सू0रि0 सं. 19/11/2023 दिनांक 16/7/2023
2. (i) अधिनियम... भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें .7ए.
(ii) अधिनियम..... धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें व 120बी भादस
3. (क) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 832 समय 5:15 PM,
(ख) अपराध घटने का दिन ..शुक्रवार.. दिनांक :- 14.07.2023 समय01.26 पीएम.....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- समय
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक :- लिखित
5. घटनास्थल :- एचडीएफसी बैंक कल्याण सर्किल, रेल्वे स्टेशन के पास सीकर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- चौकी से दक्षिण-पश्चिम दिशा में करीब 5 किलोमीटर
(ब) पता :- एचडीएफसी बैंक कल्याण सर्किल, रेल्वे स्टेशन के पास सीकर
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम :- श्री सुन्दर सिंह
(ब) पिता/पति का नाम :- श्री औमप्रकाश
(स) जन्म तिथि/वर्ष :- 35 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता- भारतीय
- (य) पासपोर्ट संख्या
जारी करने की तिथि जारी होने की जगह
- (र) व्यवसाय :-
- (ल) पता :- ग्राम बगला पुलिस थाना मण्डी आदमपुर जिला हिसार, राज्य हरियाणा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
1. अनिल कुमार धरेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, उम्र-57 वर्ष, निवासी मकान नं. 163 आर्दश विधा मन्दिर स्कूल के पास पुलिस थाना टाउन हनुमानगढ जिला हनुमानगढ सेवानिवृत वरिष्ठ पशु चिकित्सक
2. श्री ब्रह्म प्रकाश पुत्र श्री देवदत्त जाति ब्राह्मण उम्र 48 वर्ष निवासी मकान नं. 478, हरदेवपुरी गौतम नगर, पुलिस थाना होजखास दिल्ली दक्षिण
3. श्री रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री बलराम जाति ब्राह्मण उम्र 28 वर्ष निवासी मेहरवाड़ा तहसील टिब्बी पुलिस थाना तलवाड़ा जिला हनुमानगढ
4. श्री गोपाल केशावत पुत्र श्री हरचन्दा जाति सांसी, उम्र 47 साल, निवासी ग्राम राधिका बाडा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा हाल मकान नम्बर 192/386 कुम्भा मार्ग प्रतापनगर पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जयपुर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
..... कोई देरी नहीं हुई
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य रिश्वती राशि 18,50,000 रुपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-
सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर।
विषय:- रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे नाते रिश्तेदारी में श्री विकास पुत्र राजवीर निवासी गॉव बालसमन्द जिला हिसार हरियाणा ने आरपीएससी अजमेर बोर्ड द्वारा आयोजित ई.ओ/आर.ओ की वर्ष 2023 में परीक्षा दी है इसी

दौरान मेरे मिलने वाले श्री अनिल कुमार धरेन्द्र मोबाईल 8094518461 द्वारा ईओ भर्ती की ओएमआर सीट बदलकर आरपीएससी के चैयरमेन/सदस्य नाम मन्जू शर्मा आदि के नाम से ईओ भर्ती में सलेक्शन करवाने के लीए 40 लाख रूपये की मांग की जा रही है जिसके लिए 25 लाख रूपये एंडवास में मांग रहा है मेरी इनसे कोई रजिंस नही है ना ही कोई पूरानी लेनदेन बकाया है मैं इनको रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ इनके विरुद्ध सख्त कानुनी कारवाई करने का कष्ट करें। मेरे साथ साथी दोस्त श्री हरदीप सिंह सुन्दरियां निवासी गाँव धानोटी छोटी तह. राजगढ जिला चुरु भी साथ रहेंगे। प्रार्थी श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री औमप्रकाश जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बगला पुलिस थाना मण्डी आदमपुर जिला हिसार, राज्य हरियाणा मोबाईल 9466954444 एसडी-सुन्दर सिंह दिनांक 07.07.2023, श्री हरदीप सिंह सुन्दरियां पुत्र श्री औमप्रकाश, जाति जाट, उम्र-42 वर्ष, निवासी धानोटी छोटी पुलिस थाना सिद्धमुख तहसील राजगढ जिला चुरु एसडी-हरदीप सिंह दिनांक 07.07.2023, अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई एसडी-राजेश जांगिड़, उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 07.07.2023, एसडी- मनोज सिंह, एसडी- रविन्द्र सिंह दिनांक 14.07.2023

कार्यवाही पुलिस

07.07.2023

08.00 एएम इस समय परिवादी श्री हरदीप सिंह सुन्दरियां पुत्र श्री औमप्रकाश, जाति जाट, उम्र-42 वर्ष, निवासी धानोटी छोटी पुलिस थाना सिद्धमुख तहसील राजगढ जिला चुरु मय अपने साथी श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री औमप्रकाश जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बगला पुलिस थाना मण्डी आदमपुर जिला हिसार, राज्य हरियाणा के उपस्थित आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मजिद दरियापत पर परिवादी हरदीप सिंह सुन्दरियां ने प्रार्थना पत्र अपने साथी श्री सुन्दर सिंह द्वारा हस्तलिखित होना बताकर कार्यवाही दोनो के द्वारा करवाया जाना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये बताया कि श्री विकास पुत्र श्री राजवीर निवासी बालसमन्द हमारा रिस्तेदार है जिसने हमे अपनी तरफ से कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है, अधिकार पत्र विकास द्वारा आपको पेश कर दिया जावेगा। दोनो परिवादीगण से पुछने पर बताया कि श्री अनिल कुमार धरेन्द्र से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन-देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। परिवादीगण ने बताया कि श्री अनिल कुमार धरेन्द्र ने हमे आज सीकर शहर में ही मिलने बुलाया है जिस पर कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादीगण श्री हरदीप सिंह सुन्दरियां एवं श्री सुन्दर सिंह को टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादीगण के साथ हिदायत मुनासीब कर सीकर शहर रवाना किया गया। एसडी-राजेश जांगिड़, उप अधीक्षक पुलिस

तत्पश्चात दिनांक 07.07.2023 को समय 05.00 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. मय परिवादीगण श्री हरदीप सिंह सुन्दरियां एवं श्री सुन्दर सिंह उपस्थित कार्यालय आये एवं श्री रामनिवास कानि. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि " सीकर शहर में परिवादीगण ने श्री अनिल कुमार धरेन्द्र से सम्पर्क करने के लिए उसके वाटसअप पर कॉल किया तो श्री अनिल कुमार धरेन्द्र ने बताया कि मैं सीकर नहीं हूँ मैं अभी आपको कॉल करता हूँ। तत्पश्चात श्री अनिल कुमार धरेन्द्र का फोन नही आया तो परिवादी श्री सुन्दर सिंह द्वारा वाटसअप कॉल कर बात की जिसको परिवादी सुन्दर सिंह के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया तत्पश्चात दूबारा परिवादी श्री सुन्दर सिंह के मोबाईल पर श्री अनिल कुमार धरेन्द्र ने वाटसअप कॉल किया जिसे परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादीगण से मालुमात करने पर बताया कि हम आपके कार्यालय से रवाना होकर सीकर शहर में श्री अनिल कुमार धरेन्द्र का इन्तजार करने लगे फिर श्री सुन्दर सिंह द्वारा अपने वाटसअप नं. 9466972675 से श्री अनिल कुमार धरेन्द्र के वाटसअप नं. 8094518461 पर वार्ता की तो उसने

बताया कि मैं सीकर नहीं हूँ मैं अभी आपको कॉल करता हूँ। तत्पश्चात श्री अनिल कुमार धरेन्द्र का फोन नहीं आने पर मेरे (सुन्दर सिंह) द्वारा समय लगभग 12.25 पीएम पर वाटसअप कॉल कर बात की जिसको मेरे मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो "अनिल कुमार धरेन्द्र ने कहाँ कि " मेरी आरपीएसी बोर्ड अजमेर के सदस्यों से जानकारी है आपसे विकास के ईओ पद पर सलेक्सन के लिए पच्चीस लाख रूपयें लेंगे उसके पश्चात आरपीएसी बोर्ड मेम्बरो के घर पर ले जाकर आपको चाय पानी पिला लाउंगा" उक्त वार्ता को डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया तत्पश्चात दूबारा मेरे (सुन्दर सिंह) मोबाईल पर श्री अनिल कुमार धरेन्द्र का समय लगभग 12.58पीएम पर वाटसअप कॉल आया जिसको मेरे मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो "अनिल कुमार धरेन्द्र ने कहाँ कि " आपके कार्य के पच्चीस लाख रूपये लगेगे, पीएनबी,आईडीबीआई, एसबीआई बैंको के स्वयं एवं अपने परिचितो के खातो में दो-दो लाख रूपये से दस लाख तक डलवाने की बात कही तथा शेष सोमवार मंगलवार तक मैं जयपुर आपके पास आकर कर लेंगे" जिसको डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। टेप रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो परिवादीगण द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि होती है। डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। परिवादीगण ने बताया कि हम गाँव जाकर रूपयों की व्यवस्था करके दो-चार रोज में आयेंगे जिस पर परिवादीगण को मुनासीब हिदायत कर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 13.07.2023 को समय 04.30 पीएम पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह उपस्थित कार्यालय आया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि श्री अनिल कुमार धरेन्द्र ने मेरे को जरिये वाटसअप मैसेज कर बताया है कि वो आज समय करीब शाम को 07बजे रेल्वे स्टेशन सीकर के आसपास मिलेंगे। परिवादी को कार्यालय में ही मुकीम रखा। समय 07.00 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सुन्दर सिंह से श्री अनिल कुमार धरेन्द्र की उपस्थिति का मालुम करवाने के लिए श्री अनिल कुमार के वाटसअप नं. 8094518461 पर परिवादी के वाटसअप नं. 9466972675 से कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई तो अनिल कुमार धरेन्द्र ने कहाँ कि " आप चिन्ता मत करो आपका कार्य 100परसेन्ट हो जायेगा ओर हम पहुँच गये है, आप मिलने के लिए रेल्वे स्टेशन आ जाओ, ईसी दौरान परिवादी द्वारा यह कहाँ गया कि "मेरे फुफाजी को सतुष्ट करदो जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने कहाँ कि मेरी बात कराओ इस पर परिवादी का फुफा मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी का फुफा बनकर अनिल कुमार से वार्ता की तो अनिल कुमार ने कहाँ कि " फुफाजी चिन्ता मत करो आपका काम हो जायेगा जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अनिल कुमार से पुछा की रूपये किसको दोगे हमारी सन्तुष्टी कैसे होगी इस पर संदिग्ध अनिल कुमार धरेन्द्र ने बताया कि "आरपीएससी में संगीता आर्य को देंगे" उपरोक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। समय 07.20 पीएम पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह ने संदिग्ध श्री अनिल कुमार धरेन्द्र से मिलने की कही जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय डिजीटल टेप रिकार्डर मय मूलचन्द कानि. व परिवादी श्री सुन्दर सिंह के प्राईवेट वाहन से सीकर रेल्वे स्टेशन के लिए रवाना होकर समय 07.35 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के सीकर रेल्वे स्टेशन के पास पहुँचकर डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी श्री सुन्दर सिंह को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री अनिल कुमार धरेन्द्र से मिलने के लिए मुनासीब हिदायत कर रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहि के परिवादी के आने के इन्तजार में रेल्वे स्टेशन के पास ही मुकीम रहें।

समय 08.20 पीएम पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह ने वापिस आकर डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं रेल्वे स्टेशन के सामने मैन रोड पर चाय की दुकान पर श्री अनिल कुमार धरेन्द्र से मिला तो अनिल कुमार के साथ एक व्यक्ति ओर था जिसका परिचय अनिल कुमार ने अपने साथी ब्रहम प्रकाश के नाम से करवाया एवं अनिल कुमार ने मेरे से रूपयो की मांग की तो मैंने अनिल कुमार से कहाँ कि रूपये तो लेकर आये है, रूपये मेरे फुफा के पास है पर फुफा नहीं मान रहा है जिस पर ब्रहम प्रकाश ने मेरे से कहाँ कि आप अपने फुफा को विश्वास में लेवो कि उनके बच्चे विकास का काम हो जायेगा। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा टेप रिकार्डर में परिवादी द्वारा रिकार्ड वार्ता को सुना तो वाहनो का शोर शराबा होकर आवाज स्पष्ट नहीं है। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री सुन्दर सिंह एवं कानि. मूलचन्द के चौकी के लिए

रवाना होकर समय 08.50 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के मय परिवादी श्री सुन्दर सिंह के चोकी पर उपस्थित आया। डिजीटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। तत्पश्चात समय 09.00 पीएम पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब श्री अनिल कुमार धरेन्द्र ने पच्चीस लाख की मांग कर रखी है लेकिन पुरे रूपये हमारे पास नहीं है। मैं 3 लाख रूपयो की व्यवस्था कर पाउंगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को इस सम्बन्ध में निवेदन किया तो उच्चाधिकारियों ने डमी नोटो की व्यवस्था करने के निर्देश फरमाये। समय 09.05 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आयुक्त, नगर परिषद सीकर को जरिये फोन स्वतंत्र गवाह हेतु दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक रूप से दिनांक 14.07.2023 को सुबह 9.15 एएम पर भिजवाने हेतु पाबन्द किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 14.07.2023 को समय 03.00 एएम पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह के बुआ का लड़का विकास हस्ब तलविदा उपस्थित चौकी आया तथा मुताबिक निर्देश 15 लाख 50 हजार रूपये के डमी नोट दो-दो हजार रूपये के व पाँच-पाँच सौ रूपये के जिन पर भारतीय मनोरंजन बैंक का अकंन है की व्यवस्था कर साथ लाकर पेश किये। जिनको सुरक्षार्थ कार्यालय की आलमारी में रखा गया तथा श्री विकास ने अपना अधिकार पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जिसका अवलोकन कर परिवादी शामिल पत्रावली किया गया। समय 09.00 एएम पर पूर्व से जरिये टेलीफोन पूर्व से पाबन्द शुदा श्री मनोज सिंह चौहान, कनिष्ठ सहायक एवं श्री रविन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता(विद्युत), कार्यालय नगर परिषद, सीकर उपस्थित कार्यालय आये। जिनसे गोपनीय कार्यवाही में गवाह रहने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त की गई। साथ ही परिवादी सुन्दर सिंह का साथी सह परिवादी श्री हरदीप सिंह सुन्दरियां भी कार्यालय में उपस्थित आया। पूर्व से मौजूद परिवादी श्री सुन्दर सिंह एवं श्री हरदीप सिंह का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात समय 09.45 एएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश जाट निवासी बगला तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार व सह परिवादी श्री हरदीप सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश जाट निवासी धानोटी छोटी तह. राजगढ ने हिदायत देने पर आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच-पांच सौ रूपये के 600 नोट कुल 3,00,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493401
2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493402
3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493403
4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493404
5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493405
6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493406
7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493407
8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493408
9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493409
10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493410
11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493411
12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493412
13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493413
14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493414
15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493415
16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493416
17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493417
18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493418
19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493419
20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493420
21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493421
22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493422
23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ND 493423

330. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 4MK 913009
 331. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 7QL 085718
 332. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 3TV 718258
 333. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 3AV 002714
 334. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 9PG 056163
 335. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 7HA 624632
 336. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 3AU 659696
 337. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 4BQ 183247
 338. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 4BQ 183249
 339. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 1LE 701736
 340. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 1VB 462098
 341. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— OPF 229882
 342. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 5BM 723223
 343. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 9QM 367694
 344. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 8EK 151813
 345. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 6TG 187684
 346. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 1UA 009591
 347. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 8FN 566673
 348. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 6AH 218832
 349. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 0AV 291341
 350. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 1HN 648077
 351. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 5KH 546292
 352. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 4AC 085101
 353. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 1TP 209407
 354. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 1DM 835514
 355. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 0AE 362225
 356. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 4AV 609397
 357. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 0VK 465962
 358. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 2PM 063642
 359. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 1WM 553549
 360. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 4GE 417548
 361. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 4GE 417551
 362. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 9BH 608458
 363. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 9CT 164886
 364. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 8HA 606417
 365. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 5CB 859522
 366. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 3SW 242688
 367. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 9AE 066694
 368. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 5PM 814128
 369. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 1BP 033016
 370. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 5AL 764312
 371. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 8CU 050907
 372. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 6CQ 194645
 373. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 9SE 522929
 374. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 9SE 222194
 375. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 8BK 857692
 376. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 3QV 177864
 377. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 8RA 927292
 378. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 4ES 802467
 379. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 8EQ 586758
 380. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी— 7KV 307918

381. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 6HH 339180
382. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 9SE 614021
383. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 9SE 614020
384. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 8BK 835243
385. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 8BK 835244
386. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 5BV 639532
387. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 7QC 849969
388. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 2BL 905597
389. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 1MN 707161
390. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 5HT 780309
391. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 5LC 037609
392. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 1HB 247407
393. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 4RP 074167
394. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 9AN 491003
395. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 0VU 688469
396. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 0UH 219915
397. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 7HL 882405
398. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 6PE 158254
399. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 0BU 809483
400. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी- 9AE 066695
401. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2LF 413110
402. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2LF 413118
403. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2LF 413117
404. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5GD 046490
405. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5HK 004560
406. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4NK 430382
407. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0DS 756673
408. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4KK 611552
409. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8AV 233731
410. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0AP 723183
411. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2BG 505144
412. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9LM 482959
413. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7LG 200831
414. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4TT 560144
415. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5WP 116817
416. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0DT 909383
417. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2AW 365900
418. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6QA 583408
419. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9HL 901580
420. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7QD 307280
421. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5HD 663753
422. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5PV 719851
423. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0PW 359395
424. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3RR 204487
425. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6HK 192179
426. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9SD 144199
427. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6QQ 227382

428. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5FS 032848
429. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4PP 690084
430. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8ND 633812
431. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2RM 926552
432. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8WT 362558
433. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6NQ 498996
434. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4NN 180453
435. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4WP 549569
436. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3VL 292873
437. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7TH 471537
438. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7ER 923067
439. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0PR 319958
440. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5BR 021580
441. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1QC 870696
442. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8UU 623409
443. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4GP 884066
444. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3QP 579412
445. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4TP 167056
446. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7HQ 516709
447. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8DR 569126
448. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9PR 842964
449. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0KA 895379
450. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3GW 251858
451. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3AG 568725
452. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1SE 544986
453. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2NG 644700
454. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7BB 039136
455. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7RT 330259
456. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9QQ 105557
457. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3ND 587909
458. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1WN 141233
459. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7BC 486127
460. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1GM 989304
461. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7PC 102855
462. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6UR 724806
463. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1NV 030729
464. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6GS 908368
465. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6BE 096156
466. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3EW 718745
467. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7NS 977171
468. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7QT 174500
469. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4HB 537932
470. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7AV 266601
471. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4KA 296457
472. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3CW 538110

473. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0KN 831257
474. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8WM 848403
475. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2WF 411095
476. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0NM 529788
477. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6FS 280623
478. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5VH 925660
479. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5VH 925658
480. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5PA 164300
481. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6FQ 879718
482. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9NG 884461
483. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0VB 076373
484. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7BF 416744
485. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7BF 416743
486. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9AE 066696
487. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9AE 066697
488. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9AE066698
489. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9KW 179850
490. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8AW 604930
491. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5FK 478927
492. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3QE 692874
493. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5AW 861717
494. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7VM 405717
495. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8HU 111859
496. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3AE 024984
497. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3AE 024983
498. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2LW 864944
499. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2LF 413113
500. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2LF 413112
501. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0DH 098171
502. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8VG 030365
503. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7HE 629557
504. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4CC 693782
505. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8EW 176203
506. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4FW 308471
507. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2PM 858922
508. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4NB 029055
509. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6UM 338808
510. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3DR 820743
511. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5TF 234654
512. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6EM 966800
513. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0AP 747115
514. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2LD 119778
515. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9CP 005592
516. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4AP 843071
517. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3TR 998609

518. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1VP 411682
519. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2QL 370453
520. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8UL 256377
521. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6WB 817514
522. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1SF 097758
523. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4 CW 143766
524. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8EG 198665
525. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0RF 736350
526. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0TM 862200
527. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3AM 432172
528. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0DG 670811
529. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9PR 237584
530. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1WE 884790
531. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0MT 873817
532. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8VP 278943
533. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1BQ 794489
534. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5GF 942818
535. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4DW 552415
536. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2NL 735681
537. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0FS 821274
538. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9AH 985309
539. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6NN 798019
540. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0NE 832877
541. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4AA 909042
542. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4WK 059619
543. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2HD 787227
544. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0VP 223949
545. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6FC 331067
546. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5HF 670323
547. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5CF 317520
548. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0NA 786759
549. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5AQ 731444
550. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9CK 838656
551. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4WV 734543
552. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0CH 664758
553. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7VQ 904645
554. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2EQ 559513
555. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2BL 126135
556. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1EP 879063
557. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1PE 632929
558. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7TU 115207
559. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-9AT 196649
560. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4BK 121436
561. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5NT 701730
562. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5MD 215903

563. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6BQ 265107
 564. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7RQ 718560
 565. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3PK 993127
 566. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5GF 674625
 567. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5BA 437228
 568. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7GE 113638
 569. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7DV 076360
 570. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4QE 923553
 571. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5KN 361747
 572. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2CG 183371
 573. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3PR 526506
 574. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1 CH 397306
 575. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2TH 848148
 576. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5PE 314998
 577. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1BM 560553
 578. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5AS 407123
 579. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3AT 238870
 580. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5 HF 042519
 581. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6WF 148977
 582. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2BC 510991
 583. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-1UM 055325
 584. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5MV 917033
 585. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4MK 033587
 586. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8SM 277986
 587. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5WW 056068
 588. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5CM 253242
 589. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0GU 378058
 590. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-4 FU 736950
 591. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-7KT 166065
 592. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3TW 104643
 593. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6BR 856854
 594. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3CA 591789
 595. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-8CR 972731
 596. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-0NT 575044
 597. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-6MT 842635
 598. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-5TU 719066
 599. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-2CQ 854049
 600. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी-3EU 809711

चूकि संदिग्ध श्री अनिल कुमार धरेन्द्र द्वारा परिवादी के बुआ का लडका भाई श्री विकास को आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओ की भर्ती में ओएमआर शीट बदलकर भर्ती करवाने बाबत 25 लाख रुपये की रिश्वत के रूप में मांग की गई है एवं परिवादी श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश जाट निवासी बगला तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार व सह परिवादी श्री हरदीप सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश जाट निवासी धानोटी छोटी तह. राजगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे पास केवल 03 लाख रुपये है, शेष रूपयों की आप अपने स्तर पर व्यवस्था करो जिस पर उच्चाधिकारियों से इस बाबत निवेदन किया जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार भारतीय मनोरंजन बैंक लिखे 2000-2000 व 500-500 के

कुल 15 लाख 50 हजार रुपये डमी नोटों की पूर्व में व्यवस्था की गई थी जो कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर इस तरह कुल 03 लाख रुपये भारतीय मुद्रा व 15.50 लाख रुपये डमी नोट कुल 18.50 लाख रुपये है। उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री रोहिताश कुमार हैड. कानि 18 से हस्ब कायदा फिनोपथलीन पाऊंडर लगवाया जाकर उक्त नोटों की दो थई बनाकर दैनिक भास्कर के अखबार दिनांक 12 जुलाई 2023 के दो वर्कों के पृष्ठों में अलग-अलग लपेटकर उन अखबारों पर भी फिनोपथलीन पाऊंडर लगवाया गया। गवाह श्री मनोज सिंह से परिवादी श्री सुन्दर सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोपथलीन पाऊंडर लगे 3,00,000 रूपयों के नोट व 15.50 लाख रूपयों के डमी नोट कुल 18.50 लाख रुपये जो अखबार में लपेटकर बनाई गई नोटों की दोनों थइयों को श्री रोहिताश कुमार हैड. कानि 18 से परिवादी के पास कपडे की थैली में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर आरोपी से हाथ नही मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वयं के पास थैले में रखे पाऊंडर लगे रूपयों की थई निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर 9991001958 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन नम्बर 9694899999 पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊंडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नही बदला इस घोल में श्री रोहिताश कुमार हैड. कानि 18 जिसने नोटों पर फिनोपथलीन पाऊंडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनों पाऊंडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊंडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री रोहिताश कुमार हैड. कानि 18 से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोपथलीन पाऊंडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री रोहिताश कुमार हैड. कानि 18 के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुये ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री सुन्दर सिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

तत्पश्चात समय 10.11 एएम पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह के मोबाईल नं. 9991001958 पर श्री ब्रहम प्रकाश के मोबाईल नं. 9810229674 से कॉल आया जिसने परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में वार्ता को रिकार्ड किया गया। कॉल में ब्रहम प्रकाश ने परिवादी को बैंक सीकर में बुलाने सम्बन्धी वार्ता की। समय 12.50 पीएम पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र को रिश्वती राशि देने में एवं मेरी बुआ का लड़का विकास ही जायेगें मेरा साथी हरदीप सिंह हमारे साथ नही जायेगा। जिस पर परिवादी के कहेनुसार हरदीप सिंह को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर आगे की कार्यवाही से पृथक किया जाता है। समय 12.55पीएम पर मन् उप अधीक्षक मय परिवादीगण श्री सुन्दर सिंह एवं श्री विकास, स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज सिंह एवं श्री रविन्द्र सिंह मय स्टॉफ के श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक मय श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483, श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107 श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 एवं श्री सुरेशचन्द कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन, परिवादी के प्राईवेट कार एवं मोटरसाईकलों के चौकी से रेल्वे स्टेशन के पास एचडीएफसी बैंक सीकर के लिए रवाना होकर समय 01.14 पीएम इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस मय

हमराहीयान पार्टी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कल्याण सर्किल से रेल्वे स्टेशन की तरफ जाने वाली रोड पर स्थित एचडीएफसी बैंक के पास पहुँच वाहनो को साईड में रुकवाकर परिवादीगण को संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार के बतायेनुसार एचडीएफसी बैंक में रवाना किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी के एचडीएफसी बैंक के आस-पास परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय 01.26 पीएम इस समय कल्याण सर्किल से रेल्वे स्टेशन की तरफ जाने वाली रोड पर स्थित एचडीएफसी बैंक के आस-पास करीब 20 मीटर दूरी पर मुकिम मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी का तय ईशारा मिस कॉल प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी को साथ लेते हुये एचडीएफसी बैंक के अन्दर पहुँचा जहाँ बैंक के प्रथम तल से परिवादी के साथी श्री विकास ने ईशारा कर उपर बुलाया जहाँ प्रथम तल पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह अपने साथी श्री विकास के साथ खड़ा मिला, जिसने टेप रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बैंक परिसर में स्वयं से थौड़ी दूरी पर खड़े दो व्यक्तियो मे से एक की तरफ ईशारा कर बताया कि "यही अनिल कुमार धरेन्द्र है, जिनके मांगने पर मैने रिश्वती राशि 18,50,000रूपये जो अखबार में अलग-अलग दो थईयो में कपड़े की थैली में रखे हुये को निकालकर इनको दिये है, जो इन्होने मेरे से अपने दोनो हाथो में प्राप्त कर अखबार को खोलकर रूपये देखकर अपने पास रखे है जो अभी इनके हाथ में ही है" परिवादी श्री सुन्दर सिंह ने आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र के पास खड़े दूसरे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि " अनिल कुमार के पास खड़ा दूसरा व्यक्ति अनिल कुमार का साथी है जिसने भी मेरे से बात की है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने बैंक के अन्दर परिवादी द्वारा बताये गये खड़े व्यक्तियो में से एक व्यक्ति जिसके दोनो हाथो में अखबार में लिपटी हुई थईसी को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम अनिल कुमार धरेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, उम्र-57 वर्ष, निवासी मकान नं. 163 आर्दश विधा मन्दिर स्कूल के पास पुलिस थाना टाउन हनुमानगढ जिला हनुमानगढ सेवानिवृत वरिष्ठ पशु चिकित्सक होना बताते हुये कहा कि "मैने परिवादीगण श्री सुन्दरसिंह से 18लाख पचास हजार रूपये श्री सुन्दर सिंह के बुआ का लड़का भाई विकास को ईओ के पद पर चयन करवाने के लिए है, क्योंकि ये रूपये आगे श्री गोपाल केशावत, जो राज्य सरकार में ओएसडी के पद पर कार्यरत है तथा राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है को देने के लिए लिये है लेकिन मेरा गोपाल केशावत से सिधा सम्पर्क नही है, मेरा सम्पर्क श्री रविन्द्र शर्मा निवासी मेहरवाल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ से है जिसके माध्यम से रूपये गोपाल केशावत को भिजवाने थे, श्री सुन्दर सिंह से लिये गये रूपये मेरे पास अखबार के दो पैकेटो में मेरे हाथो में है।" रिश्वती राशि की पुष्टि हो जाने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार आरोपी के पास अखबार मे लिपटी हुई रिश्वती राशि के दोनो बंडल स्वतंत्र गवाह श्री रविन्द्र सिंह ने प्राप्त किये जिसको अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। तत्पश्चात श्री अनिल कुमार धरेन्द्र का बायां हाथ रामनिवास कानि. 485 से एवं दाहिना हाथ कैलाश चन्द कानि.386 से पकड़वाया गया तथा दूसरे व्यक्ति से मन् उप अधीक्षक पुलिस ने नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम " ब्रहम प्रकाश पुत्र श्री देवदत्त जाति ब्राह्मण उम्र 48 वर्ष निवासी मकान नं. 478, हरदेवपुरी गौतम नगर, पुलिस थाना होजखास दिल्ली दक्षिण होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को आरोपी श्री अनिल कुमार के साथ आने का कारण पुछा तो ब्रहम प्रकाश ने बताया कि "मैं श्री अनिल कुमार धरेन्द्र से व्यवसाय के सम्बन्ध में जानकारी है अनिल कुमार ने कल मेरे को दिल्ली में कहीं कि मेरे पचीस लाख रूपये आने है जिनको लेकर बैंक में जमा करवाना है जिस कारण मैं कल दिनांक 13.07.2023 को इनके साथ दिल्ली से आया था अनिल कुमार धरेन्द्र ने श्री सुन्दर सिंह से रूपये किस बात के लिये है मुझे पता नही है"। मौके पर बैंक में भीड़-भाड़ होने एवं बैंक में आम जन्ता के कार्य में व्यवधान आने के कारण आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र के हाथ पकड़े -पकड़े एवं श्री ब्रहम प्रकाश को साथ लेकर मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहीयान के सरकारी गाडी, प्राईवेट गाडी एवं मोटरसाईकिल के समय 01.45 पीएम पर चौकी के लिए रवाना होकर समय 02.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुद्धा चौकी हाजा पर पहुँच मन् उप अधीक्षक के कक्ष में अग्रिम हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई। चूकि संदिग्ध आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि श्री रविन्द्र शर्मा को दी जानी है के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 से श्री

रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 पर समय करीब 02.04पीएम पर वार्ता करवाई गई तो अनिल ने कहा कि वो पेमेन्ट मिल गया है तु आज केश लेने के लिए जिस पर रविन्द्र शर्मा ने कहा कि मेरे को आने में चार-पाँच घण्टे लगेंगे, तुम पहले पचास हजार रुपये डालदो" उक्त वार्ता को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया।

तत्पश्चात साथ ही श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 के दोनों हाथों एवं दो काँच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोड़ा-थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र के बायें हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1 एवं आर-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल-1, एल-2 से सीलड किया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र द्वारा परिवादी श्री सुन्दर सिंह से प्राप्त की गई रिश्वती राशि जो आरोपी के हाथों में से बरामद की गई, जो गवाह श्री रविन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये थे के अखबार के दोनो बंडलो में से निकलवाकर गिनवाये गये तो कुल 3,000,000 रुपये भारतीय मुद्रा के एवं शेष 15,50,000 रुपये डमी नोट पाये गये। भारतीय मुद्रा के कुल 3,000,000 रुपये के नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। जिनके नम्बर फर्द बरामगदी रिश्वती राशि में अंकित करवाकर उपरोक्त समस्त कुल तीन लाख रुपये भारतीय मुद्रा के नम्बरी नोट एवं शेष 15,50,000 रुपये डमी नोट एवं दैनिक भास्कर के अखबार दिनांक 12 जुलाई 2023 के दो वर्कों के पृष्ठों जिसमें उक्त रुपये दो बंडलो के रूप में लपेटे गये थे मय अखबार के कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र को पूनः परिवादी श्री सुन्दर सिंह से रिश्वति राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में कारण पुछा तो आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र ने बताया कि "मैंने परिवादी श्री सुन्दरसिंह से 18लाख पचास हजार रुपये श्री सुन्दर सिंह के भाई विकास को ईओ(अधिशायी अधिकारी) के पद पर चयन करवाने के लिये है। क्योंकि ये रुपये आगे श्री गोपाल केशावत, जो राज्य सरकार में ओएसडी के पद पर कार्यरत है तथा राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है को देने के लिए लिये है लेकिन मेरा गोपाल केशावत से सिधा सम्पर्क नही है, मेरा सम्पर्क श्री रविन्द्र शर्मा निवासी मेहरवाल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ से है जिसके माध्यम से रुपये श्री गोपाल केशावत को भिजवाने थे"। आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र को परिवादी श्री सुन्दर सिंह के भाई विकास का ई.ओ. पद पर सलेक्शन के सम्बन्ध में पुछा तो बताया कि "श्री विकास द्वारा आरपीएससी द्वारा करवाई गई ई.ओ पद की परीक्षा में मेरे द्वारा श्री रविन्द्र शर्मा के मार्फत पता लगवाने पर मालुम हुआ कि विकास द्वारा ई.ओ. परीक्षा में कुल 82 प्रश्न हल किये गये थे जिनमे से विकास के 62 प्रश्नों के उत्तर सही थे, विकास को मेरीट में लाने के लिये विकास कुमार की ओएमआर शीट चैज करके मेरीट अकों तक के प्रश्नों के उत्तर भरकर सलेक्शन करवाना था। जिसके लिए मैंने विकास की ओएमआर शीट की प्रार्थी कॉपी जरिये वाट्सअप मंगवाकर रविन्द्र शर्मा को उपलब्ध करवाई थी। ईओ परीक्षा का परिणाम इसी महिने आने वाला था। मैं रविन्द्र शर्मा से व्यक्तिगत मिलता रहता हूँ एवं मेरी रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 7372974517 पर मेरे मोबाईल नं. 8094518461 वाट्सअप एवं साधारण कॉल के द्वारा बात होती रहती है। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री ब्रहम प्रकाश को आरोपी श्री अनिल कुमार के साथ आने का कारण पुछा तो ब्रहम प्रकाश ने बताया कि "मैं श्री अनिल कुमार धरेन्द्र से व्यवसाय के सम्बन्ध में जानकारी है अनिल कुमार ने कल मेरे को दिल्ली में कहा कि मेरे पचीस लाख रुपये आने है जिनको लेकर बैंक में जमा करवाना है जिस कारण मैं कल दिनांक 13.07.2023 को इनके साथ दिल्ली से आया था अनिल ने श्री सुन्दर सिंह से रुपये किस बात के लिये है मुझे पता नही है" जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अनिल कुमार से ब्रहम प्रकाश को साथ लेकर आने का कारण पुछा तो उसने ब्रहम प्रकाश के द्वारा बताये गये कथनों की ताईद की। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सीलड शीशीयां मार्क आर-1, आर-2, एल-1, एल-2 पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर

बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

दौराने हाथ धुलाई 02.44पीएम पर संदिग्ध आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 पर श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 से कॉल आया। जिसमें रविन्द्र शर्मा ने संदिग्ध श्री अनिल कुमार को फोन पे नं. 8209062119 बताकर उसमें पैसे डालने की बात कही। उक्त वार्ता को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात 02.45पीएम पर संदिग्ध आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 पर श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 से कॉल आया। जिसमें रविन्द्र शर्मा ने संदिग्ध श्री अनिल कुमार को कहाँ कि मैं निकल रहा हूँ और उस महेश को भी बोल दिया है कि आपके खाते में 20मिनट में पैसे आ जायेंगे आदि। उक्त वार्ता को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय 03.48 पीएम इस समय परिवादी सुन्दर सिंह के सहायक परिवादी श्री हरदीप सिंह के फोन पे नं. 9050406440 से आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा द्वारा बताये गये फोन पे नं. 8209062119 पर 50हजार रूपये भेजे गये, जिसका टीआईडी नं. T2307141548331029023357 है, धारक का नाम महेश कुमार है। समय 04.09 पीएम पर संदिग्ध आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 से श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 पर कॉल करवाया गया। जिसमें संदिग्ध श्री अनिल कुमार ने श्री रविन्द्र शर्मा को कहाँ कि आपके कहेनुसार पचास डाल दिये है जिस पर रविन्द्र ने कहाँ कि मैं अभी रवाना होकर आ रहा हूँ। उक्त वार्ता को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय 04.14 पीएम पर संदिग्ध आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 पर श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 से कॉल आया। जिसमें रविन्द्र शर्मा संदिग्ध श्री अनिल कुमार से कह रहा है कि गुरु किस नाम से आये जिस पर संदिग्ध अनिल कुमार ने कहाँ कि अरे रविन्द्र वो उसके किसी भतिजे ने भिजवाये है पचास हजार। उक्त वार्ता को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय 04.16 पीएम पर संदिग्ध आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 से श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 पर कॉल करवाया गया। जिसमें संदिग्ध श्री अनिल कुमार ने रविन्द्र शर्मा को कहाँ कि रूपये हरदीप/आशीश के नाम से है, दोनो में से एक नाम है आदि। उक्त वार्ता को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात समय 06.00 पीएम पर संदिग्ध आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 से श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 पर रविन्द्र की लोकेशन बाबत कॉल करवाया गया तो रविन्द्र शर्मा ने कहाँ कि बस घर से निकला ही हूँ बारिस हो रही है चार घण्टे लगेंगे ओर लोकेशन बता दियो आदि। उक्त वार्ता को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय 06.05 पीएम पर घटना स्थल एचडीएफसी बैंक रेल्वे स्टेशन के पास का नकशा मौका कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री सुन्दर सिंह मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक सुरेश चन्द के रवाना होकर समय 06.20 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के घटना स्थल एचडीएफसी बैंक रेल्वे स्टेशन के पास, कल्याण सर्किल सीकर पहुँच परिवादी श्री सुन्दर सिंह की निशादेही से नजरी निरीक्षण कर नकशा मौका व हालात मौका पृथक से तैयार कर समय 06.50 पीएम पर चौकी के लिए रवाना होकर समय 07.10 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुद्धा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के चौकी पर पहुँचा।

समय 11.15 पीएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र की श्री रविन्द्र शर्मा से करवाई गई वार्ता के अनुसार परिवादी श्री सुन्दर सिंह के बुआ के लडके विकास का आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा ईओ के पद पर चयन करवाने के लिए आगे श्री गोपाल केशावत, ओएसडी राज्य सरकार को देने के लिये उनके मध्यस्थ श्री रविन्द्र शर्मा को दी जानी है। मांग के अनुसरण में 7 लाख 50 हजार रूपये देने है। उक्त रिश्वत राशि की परिवादी श्री सुन्दर सिंह के पास नही होने व अन्य रूपयों की व्यवस्था नही होने से आज तुरन्त ही अनिल कुमार धरेन्द्र को 7 लाख 50 हजार रूपये दिये जाने है जिस पर ब्यूरो मुख्यालय के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार बरामदशुद्धा रिश्वती राशि भारतीय मुद्रा एवं भारतीय मनोरंजन बैंक के मार्काशुद्धा डमी नोट कुल राशि 18 लाख 50 हजार रूपये में से संदिग्ध आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा की मांग के अनुसरण में 7 लाख 50 हजार रूपये राशि 1,50,000 रूपये के नोट पांच-पांच

सौ रूपये के 300 नोट जिनके नम्बर फर्द सुपुर्दगी नोट भारतीय मुद्रा व डमी नोट व दृष्टान्त में अकनं करवाया गया एवं भारतीय मनोरंजन बैंक लिखे 2000-2000 के नोटो की तीन गड्डी के 6 लाख रूपये डमी नोट इस तरह कुल 1,50,000 रूपये भारतीय मुद्रा व 6 लाख रूपये डमी नोट कुल 07.50 लाख रूपये है। गवाह श्री मनोज सिंह से संदिग्ध श्री अनिल कुमार धरेन्द्र की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। पूर्व से फिनोपथलीन पाऊंडर लगे कुल 1,50,000 रूपये भारतीय मुद्रा व 6 लाख रूपये डमी नोट कुल 07.50 लाख रूपये की थैई को श्री सुरेश चन्द से संदिग्ध श्री अनिल कुमार धरेन्द्र को एक जूट की थैली में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर संदिग्ध श्री अनिल कुमार धरेन्द्र को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर संदिग्ध श्री रविन्द्र शर्मा से हाथ नही मिलाने एवं संदिग्ध श्री रविन्द्र शर्मा से परिवादी श्री सुन्दर सिंह के काम के संबध में बात करने तथा संदिग्ध श्री रविन्द्र शर्मा द्वारा मांग किये जाने पर स्वयं के पास थैले में रखे पाऊंडर लगे रूपयो की थैई निकालकर उसे देने तथा संदिग्ध श्री रविन्द्र शर्मा द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। संदिग्ध श्री अनिल कुमार धरेन्द्र, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुये ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के संदिग्ध श्री अनिल कुमार धरेन्द्र को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। पाउंडर लगाने वाले सुरेश चन्द चालक को कार्यालय में ही छोड़ा गया। कार्यवाही की विस्तृत फर्द सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

तत्पश्चात समय 11.43 पीएम पर संदिग्ध आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 पर श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 से कॉल आया जिसमें सीकर में बाईपास पर मिलने की बात हुई। उक्त वार्ता को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय 11.55 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, संदिग्ध श्री अनिल कुमार धरेन्द्र मय स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज सिंह एवं श्री रविन्द्र सिंह मय स्टॉफ के श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक मय श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन एवं प्राईवेट वाहन के चौकी से जयपुर बिकानेर बाईपास सीकर के लिए रवाना होकर दिनांक 15.07.2023 को समय 12.15 एएम(रात्रि) पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा प्रिन्स कॉलेज के पास होटल युवराज ईन सीकर बिकानेर बाईपास पहुँचा। संदिग्ध अनिल कुमार धरेन्द्र के साथ मन् उप अधीक्षक पुलिस मय मूलचन्द कानि. के प्राईवेट वाहन में बैठा रहा। जहाँ एक व्यक्ति पूर्व से ही युवराज होटल के बाहर प्राईवेट कार के पास खड़ा था अनिल ने उस व्यक्ति की ओर ईशारा किया तो वह व्यक्ति गाडी के पिछे वाली सीट पर अनिल के पास आकर बैठ गया। जिस पर संदिग्ध श्री अनिल कुमार ने लेनदेन के बारे में बात करते हुये उस व्यक्ति से कहाँ कि "काउन्ट करलो, काम करवा दो" जिस पर उस व्यक्ति ने अनिल से कहाँ कि "आपने बहुत डिले करदी" साथ में अनिल के कहने पर संदिग्ध व्यक्ति ने जूट की थैली में से अखबार में लपेटे नोटो की थैई को अखबार से खोलकर गिनने लग गया, और कहाँ कि मैं अब ये आपका काम करवा दूंगा, आप चिन्ता मत करो जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कहाँ कि हमारा काम करवा दो, तो उस व्यक्ति ने कहाँ कि "आपका काम हो जायेगा, सुबह आपको फोन कर बता दूंगा कि ईओ भर्ती का रिजल्ट कब आयेगा। मैने कहाँ कि हमारे को विश्वाष हो जाये आप ये रूपये किसको दे रहे हो, जयपुर ही चलो साहब को देदो। इस पर उक्त संदिग्ध व्यक्ति ने अपने मोबाईल से जरिये वाट्सअप समय 12.28एएम पर टेक्स्ट मैसेज किया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व गाडी के आसपास खड़े ट्रेप पार्टी सदस्यो व गवाहान का परिचय देकर गाडी में बैठे व्यक्ति को प्रयोजन बताते हुये उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री रविन्द्र पुत्र श्री बलराम जाति ब्राह्मण उम्र 28 वर्ष निवासी मेहरवाड़ा तहसील टिब्बी पुलिस थाना तलवाड़ा जिला हनुमानगढ पेशा कृषी कार्य होना बताया। पुछने पर बताया कि मैं श्री गोपाल केशावत निवासी भिलवाड़ा जो पहले एक्स मंत्री थे और जयपुर में जानकी देवी पब्लिक

स्कूल से पहले प्रतापनगर टोंक रोड़ जयपुर पर रहते है को देने के लिए 7.50 लाख रुपये इन डॉ० अनिल से लिये है। पुछने पर यह भी बताया कि ई०ओ० भर्ती में अभ्यर्थी कौन है यह डॉ० अनिल को पता है। मेरे द्वारा लिये गये 7.50लाख रुपये एवं मेरे मोबाईल में आया हुआ अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड तुरन्त ही भेजकर पुरे रुपये 7.50 लाख रुपये टोकन मनी के रूप में श्री गोपाल जी केशावत को देने थे जिस पर गाडी में ही बैठे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने संदिग्ध श्री अनिल कुमार धरेन्द्र से कार्यालय में सुपुर्द किया गया डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वयं कब्जे लिया गया। पुछने पर श्री रविन्द्र शर्मा ने यह भी बताया कि मैं 5.30पीएम पर हनुमानगढ से किराये का वाहन ईटीयोज लेकर रुपये लेने आया हूँ। चूकि मौके पर रात्रि का समय है आम हाईवे है यहाँ रात्रि में बैठकर आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिस पर संदिग्ध श्री रविन्द्र शर्मा के दोनो हाथो में ली गई रिश्वति राशि 7.50 लाख रुपये की अखबार में लिपटी हुई थई को गवाह श्री मनोज सिंह को सुपुर्द कर सुरक्षित रखने हेतु हिदायत दी गई। मनोज सिंह मय राशि को हमरा वाहन लेकर ही शेष ट्रेप पार्टी मय हमराहियान के उसी स्थिति में लेकर समय 12.50 एएम पर वापिस कार्यालय के लिए रवाना होकर समय 01.05 एएम(रात्रि) को मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मय दस्तीयाब श्री रवीन्द्र कुमार, जब्तशुदा रिश्वत राशि के लेकर चौकी कार्यालय पर पहुंचा। संदिग्ध आरोपीयान से पूछताछ जारी है। चौकी कार्यालय में प्रक्रियानुसार दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा के दोनो की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो-दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई श्री रविन्द्र शर्मा पृथक तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 05.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मय दस्तीयाबशुदा संदिग्ध आरोपियों एवं स्वतंत्र गवाहान, परिवादीगण के जरिये सरकारी वाहन मय चालक व प्राइवेट वाहनो के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेनदेन के समय हुई बातचीत को रिकार्ड किये गये डिजीटल टेप रिकार्डर मय अब तक की गई कार्यवाही के कागजात के एसीबी चौकी सीकर से एसीबी मुख्यालय जयपुर के लिए रवाना होकर समय 07.20 एएम- पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी मुख्यालय जयपुर पहुंचा एवं हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये एवं दस्तीयाब संदिग्ध आरोपियान से पूछताछ शुरू की गई।

तत्पश्चात समय 10.00 एएम पर अनिल कुमार धरेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, उम्र-57 वर्ष, निवासी मकान नं. 163 आर्दश विधा मन्दिर स्कूल के पास पुलिस थाना टाउन हनुमानगढ जिला हनुमानगढ सेवानिवृत वरिष्ठ पशु चिकित्सक को अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व धारा 120बी भादस में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 10.10 एएम पर श्री ब्रह्म प्रकाश पुत्र श्री देवदत्त जाति ब्राह्मण उम्र 48 वर्ष निवासी मकान नं. 478, हरदेवपुरी गौतम नगर, पुलिस थाना होजखास दिल्ली दक्षिण को अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व धारा 120बी भादस में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 10.20 एएम पर श्री रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री बलराम जाति ब्राह्मण उम्र 28 वर्ष निवासी मेहरवाड़ा तहसील टिब्बी पुलिस थाना तलवाड़ा जिला हनुमानगढ को अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व धारा 120बी भादस में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समय 11.45 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा की श्री गोपाल केशावत से करवाई गई वार्ता के अनुसार परिवादी श्री सुन्दर सिंह के बुआ के लडके विकास का आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा ईओ के पद पर चयन करवाने के लिए आगे श्री गोपाल केशावत, ओएसडी राज्य सरकार को 7 लाख 50 हजार रुपये आरोपी रवीन्द्र शर्मा के द्वारा दिये जाने है। उक्त रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के लिए परिवादी श्री सुन्दर सिंह को कहा जाने पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह द्वारा भारतीय चलन मुद्रा की राशि अपने पास उपलब्ध नहीं होने व वैध स्त्रोतो से भी उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया गया। चूकिं ट्रेप कार्यवाही में ईओ की भर्ती परीक्षा में सलिप्त आरपीएससी के अधिकारी/कर्मचारियों व अपराध की श्रृंखला को पकड़ा जाना आवश्यक है तथा कार्यवाही प्रत्येक योग्यताधारी अभ्यर्थी के जीवन से सम्बन्धित होने से परिवादीगण के पास वैध

राशि की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूर्व में आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा से बरामद शुद्ध रिश्वती राशि जो कब्जा एसीबी ली गई है को ही आरोपी गोपाल केशावत को देने हेतु आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा को 7 लाख 50 हजार रुपये में से राशि 1,50,000 रुपये भारतीय मुद्रा के 300 नोट जिनके नम्बर फर्द सुपुर्दगी नोट भारतीय मुद्रा व डमी नोट व दृष्टान्त में अकंन करवाया गया एवं भारतीय मनोरंजन बैंक लिखे 2000-2000 के नोटों की तीन गडडी के 6 लाख रुपये डमी नोट इस तरह कुल 1,50,000 रुपये भारतीय मुद्रा व 6 लाख रुपये डमी नोट कुल 07.50 लाख रुपये है। गवाह श्री मनोज सिंह से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। पूर्व से फिनोपथलीन पाऊंडर लगे कुल 1,50,000 रुपये भारतीय मुद्रा व 6 लाख रुपये डमी नोट कुल 07.50 लाख रूपयो को श्री सुरेश चन्द चालक से गिरफ्तार शुद्ध आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा प्राईवेट व्यक्ति दलाल को एक एक थैली में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर संदिग्ध आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा को रास्ते में इन रूपयों को नहीं छुने व मिलने पर संदिग्ध श्री गोपाल केशावत से हाथ नहीं मिलाने एवं संदिग्ध श्री गोपाल केशावत से परिवादी श्री सुन्दर सिंह के काम के संबंध में बात करने तथा संदिग्ध श्री गोपाल केशावत द्वारा मांग किये जाने पर स्वयं के पास थैली में रखे पाऊंडर लगे रूपयो को निकालकर उसे देने तथा संदिग्ध श्री गोपाल केशावत द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। आरोपी रविन्द्र शर्मा, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के आरोपी रविन्द्र शर्मा को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

समय 12.10 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 14.07.2023 को ट्रेप कार्यवाही में परिवादी सुन्दर सिंह से आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र द्वारा अपनी मांग के अनुसरण में कुल राशि 18 लाख 50 हजार रुपये जिनमें 3लाख रुपये भारतीय मुद्रा एवं 15.50 लाख रुपये भारतीय मनोरंजन बैंक के मार्काशुद्धा डमी नोट सहित कुल राशि 18 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने पर आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि की बरामदगी की जाकर आरोपी को डिटेन किया गया था। चूकि ट्रेप कार्यवाही में आरपीएससी अजमेर द्वारा आयोजित ईओ भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी विकास का सलेक्शन करने के लिए 25 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग आरोपी द्वारा की गई है। उक्त गिरोह में आरपीएससी के अधिकारी/सदस्य/कर्मचारियों के नाम से रिश्वत राशि प्राप्त की गई है। उक्त गिरोह में अन्य लोकसेवको/आरपीएससी के सदस्यो व अन्यो के नाम से रिश्वत राशि ली जाने से उक्त गिरोह का पर्दाफास किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतित होना आवश्यक होने से उक्त 18.50 लाख रूपयो को बतौर वजह सबुत जप्त नहीं कर कब्जा एसीबी लिया गया था।

परिवादी श्री सुन्दर सिंह को आरोपी श्री गोपाल केशावत को दी जाने वाली 7.50 हजार रुपये की रिश्वत राशि प्रस्तुत करने के लिए कहा जाने पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह द्वारा अपने पास कोई राशि की व्यवस्था नहीं होने के बारे में बताया गया चूकि ट्रेप कार्यवाही में आरपीएससी की ईओ भर्ती परीक्षा में गिरोह के सरगनाओ को पकड़ा जाना आवश्यक होने से ट्रेप कार्यवाही में बरामद की गई 18.50 लाख रुपये में से 7.50 लाख रुपये आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा को दिये जाने के लिए दिनांक 14.07.2023 को आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र को सुपुर्द किये गये थे। दिनांक 15.07.2023 को आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा द्वारा अपनी मांग के अनुसरण में 7.50 लाख रुपये प्राप्त किये जाने से उक्त राशि बरामद की गई तथा आज दिनांक 15.07.23 को आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा से आरोपी श्री गोपाल केशावत द्वारा 7.50 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग की जाने से परिवादीगण के पास उक्त राशि की व्यवस्था नहीं होने से बरामदशुद्धा रिश्वत राशि 18.50 लाख रुपये में से 11 लाख रुपये जिनमें जिनमें 1.50 लाख रुपये भारतीय मुद्रा एवं 9.50 लाख रुपये डमी मुद्रा जिनमें भारतीय चलन मुद्रा के पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के 300 नोट राशि 1.50 लाख रुपये व भारतीय मनोरंजन बैंक मार्क अकितं मुद्रा के दो-दो हजार के 300नोट एवं पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के 700 नोट कुल 9.50 लाख रुपये के डमी नोट कुल 11लाख रुपये राशि के नोटों को सुपुर्दगी के पश्चात 11लाख रुपये को अपराध की

निरन्तरता में एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर बतौर वजह सबूत परिवादी, सवतत्र गवाहान व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। जिसकी फर्द पृथक से तैयार कर शामिल की गई।

समय 12.25 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी हरदीप सिंह, गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री अनिल कुमार धरेन्द्र व श्री रविन्द्र मय स्टाफ मय सरकारी वाहन चालक मय स्टाफ तथा श्री राजेन्द्र सिंह नैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उनके टीम के सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस, रमेश सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री राजकृष्ण कानिस्टेबल, श्री मेहर सिंह कानिस्टेबल, श्रीमती सावित्री कानिस्टेबल, श्री संजय कानिस्टेबल, श्री रविन्द्र कानिस्टेबल मय स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सिंह नाथावत व श्री ऋषभ चौहान के सरकारी व प्राईवेट वाहनों के एसीबी, मुख्यालय जयपुर से रवाना होकर समय 01.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के कुम्भा मार्ग प्रताप नगर जयपुर में मकान नम्बर 192/386 के कुछ पहले पहुँचे। इसके पश्चात वाहनों से उतरकर स्वतंत्र गवाहान को तलब कर कार्यवाही के बारे में बताया जाकर, गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर उक्त दोनों द्वारा पृथक-पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात आरोपीगण श्री अनिल कुमार धरेन्द्र व रविन्द्र शर्मा को आरोपी श्री गोपाल केशावत को रिश्वत राशि दी जाने के लिए रवाना किया गया व पिछे परिवादी श्री हरदीप सिंह, ट्रेप पाट्री के सदस्य व एसीबी के अन्य टीम के सदस्यों को रवाना कर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये रखने की हिदायत कर मन उप अधीक्षक पुलिस आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा के निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकीम रहा। मन उप अधीक्षक पुलिस आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा एवं अनिल कुमार धरेन्द्र को आरोपी गोपाल केशावत के मकान में प्रवेश होते हुये देखा गया तथा उक्त तीनों के आपस में बैठकर बातचीत करने व गोपाल केशावत द्वारा राशि गिनते हुये सामने की निर्माणाधीन बिल्डींग से देखा गया तथा परिवादी गोपाल केशावत के गेट के पास दिखाई दे रहा था।

समय 02:10 पी.एम. पर आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा ने निर्धारित इशारा किया जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान के रवाना होकर मकान नम्बर 192/386, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर में प्रवेश होकर देखा कि श्री अनिल कुमार धरेन्द्र, श्री रविन्द्र शर्मा व गोपाल केशावत पोर्च में आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे तथा श्री गोपाल केशावत द्वारा राशि को गिनकर प्लास्टिक की टी-टेबल पर रखे हुए पाये गये। श्री रविन्द्र से डिजीटल वाइस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाकर आने के मंतव्य से अवगत करवाया गया व टीशर्ट हल्के नीले रंग की व काले रंग का लोवर पहने हुए व्यक्ति का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम गोपाल केशावत पुत्र श्री हरचंदा जाति सांसी उम्र 47 साल निवासी राधिका बाड़ा पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाड़ा हाल 192/386, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर होना बताया तथा उपस्थित आरोपी गण श्री अनिल कुमार धरेन्द्र व श्री रविन्द्र शर्मा पूर्व में गिरफ्तार शुदा होने से नाम पता पुछने की आवश्यकता नहीं है, आरोपी श्री गोपाल केशावत द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के साक्ष्य के संबंध में तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उन्हे पुनः धुलवाकर श्री गोपाल केशावत के मकान में पोर्च के बाहर लगी मोटर से दोनों गिलासों को साफ करके दोनों गिलासों में साफ पानी डालकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयार शुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने स्वीकार किया। तैयार शुदा कांच के एक गिलास के घोल में श्री गोपाल केशावत के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन व गवाहान ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे साफ कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर घोल में श्री गोपाल केशावत के बाँये हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरीन व गवाहान ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त धोवन की शिशियों को बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया।

इसके पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री रविन्द्र की ओर इशारा करते हुए आरोपी श्री गोपाल केशावत को पूछा गया की अभी-अभी परिवादी श्री सुन्दर सिंह के रिश्तेदार श्री विकास की ओ.एम.आर. शीट आर.पी.एस.सी. अजमेर में से बदलवाने के लिए 7,50,000 की

रिश्वत राशि श्री रविन्द्र से प्राप्त की है क्या? जिस पर श्री गोपाल केशावत ने बताया कि मैं श्री रविन्द्र कुमार को जानता हूँ तथा मेरे द्वारा कोई राशि श्री रविन्द्र से प्राप्त नहीं की गई है। जिस पर श्री गोपाल केशावत को श्री अनिल धरेन्द्र को जानने के बारे में पूछा गया तो कोई जानकारी नहीं होना बताया गया। जिस पर श्री रविन्द्र से पूछा गया तो रविन्द्र ने कहा कि श्री गोपाल केशावत झूठ बोल रहे हैं इन्होंने मेरे से आज दिनांक 15.07.2023 को रुपये 7,50,000 की रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री रविन्द्र की ओर इशारा कर पुछा गया कि क्या आप श्री गोपाल केशावत को जानते हो, जिस पर आरोपी श्री रविन्द्र ने बताया कि श्री गोपाल केशावत के समाज के लोग लूणकरणसर बेल्ट बीकानेर में रहते हैं जिनके साथ मैं गोपाल केशावत के घर पर आता-जाता रहता था। जिससे मेरी करीब 10-11 साल से जानकारी है। श्री गोपाल केशावत द्वारा मुझे बताया गया था कि आर.पी.एस. सी. अजमेर में श्री सुरजीत मल जी, सुश्री मंजू व सुश्री संगीता मिलने वाले हैं। जिनसे मैं किसी भी भर्ती में पैसे देकर किसी भी अभ्यर्थी का चयन करवा सकता हूँ। मुझे श्री अनिल धीरेन्द्र ने कहा कि अधिशासी अधिकारी (ई.ओ) की परीक्षा आर.पी.एस.सी. के द्वारा आयोजित की जा चुकी है। जिसमें श्री विकास पुत्र श्री रामवीर जाट के बारे में श्री गोपाल केशावत से पुछकर बताना जिस पर मेरे द्वारा श्री गोपाल केशावत को उक्त परीक्षा का परमिशन लेटर व्हाट्स एप्प किया गया। श्री गोपाल केशावत ने श्री विकास को उक्त परीक्षा में सफल बनाकर नौकरी दिलवाने के संबंध में रुपये 25,00,000 रिश्वत की माँग की गई। श्री गोपाल केशावत ने मुझे दूसरे दिन बताया कि श्री विकास के 62 प्रश्न ही सही है तथा इसके द्वारा गलत प्रश्न किये जाने से ओ.एम.आर. शीट ही चेंज करनी पड़ेगी, जिस पर मेरे द्वारा उक्त बात श्री अनिल धीरेन्द्र को बताई गई श्री अनिल धीरेन्द्र द्वारा परिवादी श्री सुन्दर सिंह को बताई गई। जिसके उपरान्त दिनांक 14.07.2023 को श्री अनिल धीरेन्द्र द्वारा रुपये 18,50,000 प्राप्त किये गये, मेरे द्वारा रुपये 50,000 प्राप्त किये गये। आज दिनांक को मुझे रुपये 7,50,000 को दिये जाने थे जो मेरे द्वारा इनके घर पर आकर इनको सुपुर्द किये गये। जो श्री गोपाल केशावत द्वारा अपने दोनों हाथों से गिनकर प्लास्टिक की टी-टेबल पर रखे ही थे कि इतने में आप आ गये।

इसके पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री गोपाल केशावत की ओर इशारा कर आरोपी श्री अनिल धीरेन्द्र से पूछा गया कि क्या आप श्री गोपाल केशावत को जानते हो? जिस पर श्री अनिल धीरेन्द्र ने कहा कि मैं श्री गोपाल केशावत को जानता हूँ मैं और श्री रविन्द्र इनसे मिलने कई बार आये हुए हैं। श्री अनिल धीरेन्द्र ने बताया कि मेरे पास श्री सुन्दर सिंह व उसके परिवार जन आये थे तथा अभ्यर्थी श्री विकास की अधिशासी अधिकारी (ई.ओ) की नौकरी लगवानी है। जिस पर मेरे द्वारा श्री रविन्द्र को श्री गोपाल केशावत से बातचीत करने के लिए कहा गया तथा गोपाल केशावत ने श्री विकास के परमिशन लेटर की कॉपी माँगी जाकर रुपये 25,00,000 रिश्वत की माँग की गई व श्री विकास के 62 प्रश्न सही होना बताकर ओ.एम.आर. शीट ही बदलने के लिए कहा गया। हम तीनों आपस में परीचित हैं इसके पश्चात श्री गोपाल केशावत से प्राप्त की गई रुपये 7,50,000 की रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के बारे में पुनः पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया गया।

इसके पश्चात आरोपी श्री गोपाल केशावत को अपना मोबाइल फोन प्रस्तुत करने के संबंध में कहा जाने पर आरोपी द्वारा अपना मोबाइल प्रस्तुत किया गया, आरोपी श्री गोपाल केशावत पूर्व में घूमन्तु बोर्ड का चैयरमैन रहा हुआ है तथा आर.पी.एस.सी. अजमेर में किन-किन सदस्यों के संपर्क में रहा तथा किन-किन सदस्यों व आर.पी.एस.सी. स्टाफ से क्या-क्या चैट की गई व अभ्यर्थियों को नौकरी लगाने के चैट के मैसेज पाये जा सकते हैं। जिसके कारण आरोपी के मोबाइल फोन का प्रत्यक्ष अवलोकन कर मोबाइल जब्त किया जावेगा। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वाइस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो रिश्वत राशि आरोपी श्री गोपाल केशावत द्वारा प्राप्त की जाना प्रमाणित पाया गया। इसके पश्चात प्लास्टिक की टेबल पर रखी रिश्वत राशि जो आरोपी गोपाल केशावत द्वारा प्राप्त की गई थी को स्वतंत्र गवाहान से उठवाई जाकर गिनवाई जाने पर स्वतंत्र गवाहान द्वारा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रुपये के तीन सौ नोट कुल राशि रुपये 1,50,000 के नम्बरी नोट एवं भारतीय डमी मुद्रा के 2000-2000 रुपये के तीन सौ नोट राशि रुपये 6,00,000 कुल राशि रुपये 7,50,000 होना बताया गया। उक्त राशि का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा व डमी मुद्रा से करवाया जाने पर भारतीय चलन मुद्रा के नोट व डमी नोट हुबहु होना बताया गया। तत्पश्चात उक्त राशि को एक लिफाफे में रख कर लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थैली में रख कर सील्ड मोहर कर बतौर वजह सबूत जब्त कर आरोपी गण व गवाहान व संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। ट्रेप कार्यवाही में डिजिटल वाइस रिकॉर्डर को चला कर सुना जाने पर रिश्वत राशि लेन-देन की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गयी।

ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री गोपाल केशावत द्वारा श्री विकास पुत्र श्री रामवीर जाति जाट उम्र 24 साल निवासी बालसमंद थाना सदर हिसार के आर.पी.एस.सी. द्वारा

आयोजित ई.ओ. की परीक्षा के रोल नम्बर 1515802 की ओ.एम.आर. शीट ई.ओ. की नौकरी लगवाने के लिए श्री रविन्द्र, श्री अनिल धीरेन्द्र से आपसी मिली भगत पूर्वक 25,00,000 रूपये की माँग अपने लिए व आर.पी.एस.सी. के सदस्यों के नाम से कर रूपये 7,50,000 की रिश्वत राशि प्राप्त कि जाने से आरोपी श्री गोपाल केशावत का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 की धारा 7A व 120B भा.द.सं. का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर समय 04.00 पीएम पर जरीये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 04.30 पीएम पर कार्यवाही हाजा में नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाब्ता मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री अनिल कुमार धरेन्द्र, श्री रवीन्द्र शर्मा एवं श्री गोपाल केशावत मय जब्त शुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि के रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पहुँचा। समय 06.00 पीएम पर दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 07.07.2023 को परिवादीगण श्री हरदीप सिंह सुन्दरियां एवं श्री सुन्दर सिंह की उपस्थिती में परिवादी श्री सुन्दर सिंह द्वारा अपने वाटसअप नं. 9466972675 से श्री अनिल कुमार धरेन्द्र के वाटसअप नं. 8094518461 पर समय लगभग 12.25 पीएम एवं समय लगभग 12.58 पीएम पर वाटसअप कॉल पर हुई वार्ताओ को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ताओ को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से उपरोक्त 02 वार्ताओ का फर्द रूपान्तरण किया जाकर 06 सीडी तैयार कर एक सीडी पर मार्क "ए-1" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर प्लॉस्टीक के कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं 05 सीडी आरोपीगण एवं अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी सुन्दर सिंह ने स्वयं की व श्री अनिल कुमार धरेन्द्र की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहो की मौजूदगी में आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल फोन ओपो कम्पनी रंग काला जिसमें सीम नम्बर 950959332 (जीओ) व 9636479037 (एयरटेल) है के वाटसअप नं. 9636479037 की चैट को देखने पर गोपाल केशावत के मोबाईल नं. 9829682319 की चैट को खोलकर आपस में हुई चैट की स्क्रीन के मेरे मोबाईल से फोटो लिये जाकर लेपटॉप की सहायता से प्रिन्टर से प्रिन्ट निकालकर अवलोकन किया गया तो दोनो के बिच विभिन्न परीक्षाओ के एडमीट कार्ड, ओएमआर शीट एवं रूपयो के लेनदेन के सम्बन्ध में चैट की गई है। उक्त चैट प्रिन्ट के पृष्ठ 01 से 60 तक अंकित कर स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। समय 07.50 पीएम पर दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 13.07.2023 को श्री अनिल कुमार के वाटसअप नं. 8094518461 पर परिवादी सुन्दर सिंह के वाटसअप नं. 9466972675 से समय लगभग 07.00 पीएम पर वाटसअप कॉल पर हुई बातचीत को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर 07 सीडी तैयार कर दो सीडीयो पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर प्लॉस्टीक के अलग-अलग कवर में डालकर सफेद कपड़े की अलग-अलग थैलीयो में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" एवं मार्क "बी-1" अंकित कर सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी सुन्दर सिंह ने स्वयं की व श्री अनिल कुमार धरेन्द्र की आवाजों की पहचान की।

नोट:- दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 13.07.2023 को परिवादी श्री सुन्दर सिंह द्वारा श्री अनिल कुमार धरेन्द्र से आमने सामने हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। रिकार्ड वार्ता को सुना तो वाहनो का शोर शराबा होकर आवाज स्पष्ट नहीं है। जिस कारण उक्त वार्ता फर्द रूपान्तरण नहीं किया गया। जिसकी फर्द पृथक से तैयार कर शामिल की गई।

तत्पश्चात 09.00 पीएम पर दौराने रिश्वत लैनदेन दिनांक 14.07.2023 को समय 10.11 एएम पर परिवादी श्री सुन्दर सिंह के मोबाईल नं. 9991001958 पर श्री ब्रह्म प्रकाश के मोबाईल नं. 9810229674 से कॉल आने पर हुई बातचीत को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, दौराने रिश्वत लैनदेन दिनांक 14.07.2023 को परिवादीगण श्री सुन्दर सिंह एवं श्री विकास की आरोपीगण श्री अनिल कुमार धरेन्द्र एवं ब्रह्म प्रकाश से आमने सामने हुई बातचीत को परिवादी श्री सुन्दर सिंह द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया,

दिनांक 14.07.2023 को श्री अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 से श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 पर समय करीब 02.04पीएम पर वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, दिनांक 14.07.2023 को समय 02.44पीएम पर आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 पर श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 से कॉल आने पर दोनो के मध्य हुई बातचीत को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, दिनांक 14.07.2023 को 02.45 पीएम पर आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 पर श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 से कॉल आने पर दोनो के मध्य हुई बातचीत को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, दिनांक 14.07.2023 को 04.09 पीएम पर आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 से श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 पर हुई बातचीत को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, दिनांक 14.07.2023 को 04.14 पीएम पर आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 पर श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 से हुई बातचीत को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, दिनांक 14.07.2023 को 04.16 पीएम पर आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 से श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 पर कॉल करवाया जाकर हुई बातचीत को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, दिनांक 14.07.2023 को 06.00 पीएम पर संदिग्ध आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 से श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 पर हुई बातचीत को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, दिनांक 14.07.2023 को 11.43 पीएम पर आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र के मोबाईल नं. 8094518461 पर श्री रविन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. 9509593332 से कॉल आने पर दोनो के मध्य हुई वार्ता को श्री अनिल कुमार के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 15.07.2023 को आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र की आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा से आमने सामने हुई बातचीत को आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से उपरोक्त वार्ताओ का फर्द रूपान्तरण किया जाकर 06 सीडी तैयार कर एक सीडी पर मार्क "सी-1" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर प्लॉस्टीक के कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में सीलड किया गया एवं 05 सीडी आरोपीगण एवं अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सीलड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अंकित कर सीलड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालापो में परिवादी श्री सुन्दर सिंह एवं विकास ने स्वयं की व श्री ब्रहम प्रकाश एवं अनिल कुमार धरेन्द्र की आवाजों की पहचान की है, अनिल कुमार धरेन्द्र ने स्वयं की एवं श्री रविन्द्र शर्मा की आवाजों की पहचान की।

समय 11.00 पीएम पर दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 15.07.2023 को आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा की आरोपी श्री गोपाल केशावत से आमने सामने हुई बातचीत को आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से उपरोक्त वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर 06 सीडी तैयार कर एक सीडी पर मार्क "डी-1" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर प्लॉस्टीक के कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में सीलड किया गया एवं 05 सीडी आरोपीगण एवं अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सीलड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "डी" अंकित कर सीलड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में आरोपी श्री रविन्द्र शर्मा ने स्वयं की व आरोपी श्री गोपाल केशावत की आवाजों की पहचान की।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, उम्र-57 वर्ष, निवासी मकान नं. 163 आर्दश विधा मन्दिर स्कुल के पास पुलिस

थाना टाउन हनुमानगढ जिला हनुमानगढ सेवानिवृत वरिष्ठ पशु चिकित्सक, श्री ब्रह्म प्रकाश पुत्र श्री देवदत्त जाति ब्राह्मण उम्र 48 वर्ष निवासी मकान नं. 478, हरदेवपुरी गौतम नगर, पुलिस थाना होजखास दिल्ली दक्षिण, श्री रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री बलराम जाति ब्राह्मण उम्र 28 वर्ष निवासी मेहरवाड़ा तहसील टिब्बी पुलिस थाना तलवाड़ा जिला हनुमानगढ एवं श्री गोपाल केशावत पुत्र श्री हरचन्दा जाति सांसी, उम्र 47 साल, निवासी ग्राम राधिका बाड़ा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा हाल मकान नम्बर 192/386 कुम्भा मार्ग प्रतापनगर पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जयपुर द्वारा आपराधिक षडयंत्र करते हुये परिवारी श्री सुन्दर सिंह के बुआ का लड़का (भाई) विकास को आरोपीएससी द्वारा आयोजित की गई ईओ परीक्षा में ओएमआरशीट बदलवाकर ईओ के पद पर सलेक्शन करवाने की एवज में आरोपी अनिल कुमार धरेन्द्र द्वारा परिवारी से दिनांक 07.07.2023 को जरिये वाटसअप कॉल पच्चीस लाख रूपये की मांग करना एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 14.07.2023 को परिवारी से रिश्वत राशि 18 लाख पचास हजार रूपये (तीन लाख रूपये भारतीय मुद्रा के एवं 15.50लाख रूपये डमी नोट) बतौर रिश्वत श्री रविन्द्र शर्मा निवासी मेहरवाल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ के माध्यम से श्री गोपाल केशावत, के लिये प्राप्त करना। श्री ब्रह्म प्रकाश द्वारा परिवारी श्री सुन्दर सिंह के बुआ का लड़का (भाई) विकास को आरोपीएससी द्वारा आयोजित की गई ईओ परीक्षा में ओएमआरशीट बदलवाकर ईओ के पद पर सलेक्शन करवाने की एवज में आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र के साथ सीकर आना व परिवारी के फोन पर रिश्वत राशि मंगवाने बाबत अपने फोन से फोन करना एवं परिवारी के फोन पर धमकी भरा मैसेज जरिये वाटसअप करना, परिवारी के पहुँचने पर रिश्वत राशि मांगना एवं अपने अकाउंट में राशि जमा करवाने की कहना आदि। श्री रविन्द्र शर्मा द्वारा आरोपी श्री अनिल कुमार धरेन्द्र से श्री गोपाल केशावत, के पद पर कार्यरत राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त के रिश्वत मांगना, 50 हजार रूपये अपने जानकार के फोन पे पर डलवाना तथा मांग के अनुसरण में 7.50 लाख रूपये (1,50,000 रूपये भारतीय मुद्रा व 6 लाख रूपये डमी नोट कुल 07.50 लाख रूपये) प्राप्त करना तथा आरोपी श्री गोपाल केशावत द्वारा श्री विकास पुत्र श्री रामवीर जाति जाट के आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित ई.ओ. की परीक्षा की ओ.एम.आर. शीट बदलवाकर ई.ओ. की नौकरी लगवाने के लिए श्री रविन्द्र, श्री अनिल धीरेन्द्र से आपसी मिली भगत पूर्वक 25,00,000 रूपये की माँग अपने लिए व आर.पी.एस.सी. के सदस्यों के नाम से कर रूपये 7,50,000 की रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के कारण आरोपीगण को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपीगण का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 व 120बी भादस की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपीगण अनिल कुमार धरेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, उम्र-57 वर्ष, निवासी मकान नं. 163 आर्दश विधा मन्दिर स्कुल के पास पुलिस थाना टाउन हनुमानगढ जिला हनुमानगढ सेवानिवृत वरिष्ठ पशु चिकित्सक, श्री ब्रह्म प्रकाश पुत्र श्री देवदत्त जाति ब्राह्मण उम्र 48 वर्ष निवासी मकान नं. 478, हरदेवपुरी गौतम नगर, पुलिस थाना होजखास दिल्ली दक्षिण, श्री रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री बलराम जाति ब्राह्मण उम्र 28 वर्ष निवासी मेहरवाड़ा तहसील टिब्बी पुलिस थाना तलवाड़ा जिला हनुमानगढ एवं श्री गोपाल केशावत पुत्र श्री हरचन्दा जाति सांसी, उम्र 47 साल, निवासी ग्राम राधिका बाड़ा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा हाल मकान नम्बर 192/386 कुम्भा मार्ग प्रतापनगर पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जयपुर के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(राजेश जांगिड़)

उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश जांगिड, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1. श्री अनिल कुमार धरेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण, निवासी मकान नं. 163 आर्दश विद्या मन्दिर स्कूल के पास पुलिस थाना टाउन, हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ सेवानिवृत वरिष्ठ पशु चिकित्सक, 2. श्री ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्री देवदत्त, निवासी मकान नं. 478, हरदेवपुरी गौतम नगर, पुलिस थाना होजखास, दिल्ली दक्षिण, 3. श्री रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री बलराम, निवासी मेहरवाड़ा तहसील टिब्बी, पुलिस थाना तलवाड़ा, जिला हनुमानगढ़ एवं 4. श्री गोपाल केशावत पुत्र श्री हरचन्दा, निवासी ग्राम राधिका बाड़ा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा हाल मकान नम्बर 192/386 कुम्भा मार्ग प्रतापनगर पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जयपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 191/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

Draft 16/7/23

(सवाईसिंह गोदारा)

महानिरीक्षक पुलिस,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 2347-50 दिनांक 16.07.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर।
2. शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

Draft 16/7/23

महानिरीक्षक पुलिस,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।